

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 28/02/2019

क्रमांक/726/3902/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त पाया गया है।
1	2	3	4
1.	डॉ. सीताराम महाजन, सेवानिवृत्त आ.चि. अ. जिला खण्डवा (सेवानिवृत्त 30.06.2006)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
2.	डॉ. बदीप्रसाद पिपरसानिया, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.12.2006)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
3	डॉ. शंकरलाल चौधरी, सेवानिवृत्त आ. चि.अ. जिला खण्डवा (सेवानिवृत्त 31.01.2007)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
4	डॉ. संतोष कुमार बोहरे, सेवा. आ.चि.अ. जिला नरसिंहपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2007)	(प्रथम कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
5	डॉ. राजेन्द्र नारायण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आ. चि. अ. जिला सीधी (सेवानिवृत्त 31.12.2007)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
6	डॉ. वसन्त कुमार खरे, सेवानिवृत्त आ.चि. अ. जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.03.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
7	डॉ. मधुसूदन व्यास सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला उज्जैन (सेवानिवृत्त 30.06.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) (01.04.2006)	दिनांक 01.04.2006
8	डॉ. विद्याधर शर्मा, सेवानिवृत्त आ. चि.अ. जिला नरसिंहपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2009)	प्रथम कार्यान्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
9	डॉ. गोविन्द प्रसाद खरे सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2009)	प्रथम कार्यान्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006

Re

10	डॉ.हरप्रसाद साहू, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला डिण्डोरी (सेवानिवृत्त 30.11.2009)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
11	डॉ.देवेन्द्र कुमार भदौरा, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सागर (सेवानिवृत्त 28.02.2009)	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
12	डॉ.शिवनारायण सिंह, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सागर (सेवानिवृत्त 30.06.2009)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
13	डॉ.एच.सी.श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला राजगढ़ (सेवानिवृत्त 31.01.2009)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
14	डॉ.विश्वनाथ बर्वे, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला धार (सेवानिवृत्त 30.11.2009)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
15	डॉ.धर्मराज सिंह तिवारी, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला कटनी (सेवानिवृत्त 30.11.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
16	डॉ.रतनचन्द्र जैन, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला कटनी (सेवानिवृत्त 31.07.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
17	डॉ.रामदयाल पाली, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला नरसिंहपुर (सेवानिवृत्त 28.02.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2007 विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04.2006 की स्थिति में प्रथम समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2007 में समयमान वेतनमान देने पर विचार उपरांत दिनांक 01.04.2007 से प्रथम समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त पाया गया है।
18	डॉ.चरण सेवक सोनी, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला नरसिंहपुर (सेवानिवृत्त, 31.01.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
19	डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह परमार, सेवानिवृत्त आचिअ जिला छतरपुर (सेवानिवृत्त 31.01.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
20	डॉ.रामप्रकाश द्विवेदी, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सीधी (सेवानिवृत्त 28.02.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
21	डॉ.राममणि शुक्ला, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सीधी (सेवानिवृत्त 30.04.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
22	डॉ.राममणि चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सागर (सेवानिवृत्त 31.01.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006
23	डॉ.रामलखन त्रिपाठी सेवानिवृत्त आचिअ, जिला सीधी (सेवानिवृत्त 30.08.2010)	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006	दिनांक 01.04.2006

ae


2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-

- 2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।
- 2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।
- 2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008 /नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/ 2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।
- 2.4 वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-1/2008/नियम/चार, दिनांक 13.11.2009 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार तदर्थ रूप से की गई सेवा समयमान वेतनमान देने हेतु गणना में नहीं ली जावेगी।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे।

4/- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ०एस.एस.कुमरे)
उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 28 /02/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/727/3902/2019/1/59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंदौर/सागर/जबलपुर/रीवा /उज्जैन/भोपाल/ग्वालियर। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
- 6- संभागीय आयुष अधिकारी, इंदौर/सागर/जबलपुर/रीवा /उज्जैन/भोपाल/ग्वालियर संभाग

- 7- जिला आयुष अधिकारी जिला खण्डवा, छतरपुर, नरसिंहपुर, सीधी, उज्जैन, डिण्डोरी, सागर, राजगढ़, धार, कटनी एवं रीवा। आदेश की एक प्रति संबंधित को उनके वर्तमान पते पर अनिवार्य रूप से तामील कराने बावत।
- 8- संबंधित डॉ.....द्वारा जिला आयुष अधिकारी जिला-----
- 9- आदेश फाइल।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग